

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2

संख्या-855(1)/v-2/आ0-53(आ0)/2014
देहरादून दिनांक: 16 जुलाई, 2014

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा-5-क(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर मुख्य प्रशासक (पदेन अपर सचिव, आवास) को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत वाद/अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु अधिकृत किया जाता है।
2- अपर मुख्य प्रशासक, (पदेन अपर सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन) को निर्देशित किया जाता है कि वे उत्तराखण्ड राज्य एवं नगर विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात यथा आवश्यकता स्थगनादेश एवं अंतिम आदेश पारित कर सकेंगे।

(डी0एस0 गबर्वाल)
सचिव/मुख्य प्रशासक।

संख्या-855(1)/v/आ0-2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।
- 7- सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनघाटी/नैनीताल/गंगोत्री।
- 8- प्रतिलिपि अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9- कार्मिक अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गबर्वाल)
सचिव/मुख्य प्रशासक।